कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 29-04-2021 के अनुसार सत्यापन प्रपत्र

(अनुलग्नक-2)

1 पासपोर्ट आकार का नवीनतम हस्ताक्षरित चित्र चिपकायें (5 सेमी गुणा 7 सेमी)

'चेतावनी'

2. सत्यापन प्रपत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करना या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता होगी और सरकार के अधीन नियोजन के लिए अभ्यर्थी अपात्र हो जायेगा। इस प्रपत्र को पूर्ण करने एवं जमा करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी नजरबंद, गिरफ्तार, अभियोजित तड़ीपार कृत अर्थदण्ड मे दण्डित दोषकृत, विवर्जित या अपराध मुक्त आदि किया जाता है तो उन विवरणों को तत्काल उन प्राधिकारियों के पास तत्काल भेजा जाना चाहिए जिनके पास पूर्व में सत्यापन प्रपत्र भेजा गया था, इसमें विफल होने पर तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना माना जायेगा।

3. यदि, किसी व्यक्ति की सेवा अवधि के मध्य किसी समय सत्यापन प्रपत्र में किसी तथ्यात्मक जानकारी का छिपाया जाना या त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो उसकी सेवायें समाप्त किये जाने योग्य होंगी।

1. पूर्ण नाम (बड़े अक्षरों में): BAKSHI ROHIT PRASAD		उपनाम: PRASAD	नाम: BAKSHI ROHIT
2.(क) पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या	205-H/2A/5, ANANDPURAM, KASARI MASARI, CHAKIYA, PIN- 211016 DISTRICT- PRAYAGRAJ, STATE- UTTAR PRADESH, Police Station- DHOOMANGANJ		
2.	पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण-ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/ गली/ सड़क एवं नगर):	205-H/2A/5, ANANDPURAM, KASARI MASARI, CHAKIYA-211016 PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH	
3.	घर का पूर्ण पता (उदाहरण- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/ गली/ सड़क एवं नगर तथा जनपद मुख्यालय का नाम:	205-H/2A/5, ANANDPURAM, KASARI MASARI, CHAKIYA-211016 PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH	

4.	आधार कार्ड संख्या :	623596919659
5.	पैन संख्या :	ATNPP0662M
6.	राष्ट्रीयता :	INDIAN
7. (क)	जन्म तिथि :	25/06/1986
(ख)	वर्तमान आयु :	36 Years
(ग)	10 वीं कक्षा में आयु क्या थी :	16 Years
8. (क)	जन्म स्थान, जनपद एवं राज्य जहाँ वह अवस्थित है :	PRAYAGRAJ, PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH
(ख)	जनपद एवं राज्य जिससे आप संबंधित है :	PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH
(ग)	जनपद एवं राज्य जिससे आपके पिता मूल रूप से संबंधित थे :	PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH
9. (क)	आपका धर्म :	HINDU
(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं : (हां या नहीं में उत्तर दीजिए)	NO

10. उन स्थानों का विवरण (निवास की अवधि के साथ) जहाँ आपने विगत पाँच वर्षों की समयावधि में एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है। विदेश निवास के प्रकरण में (पाकिस्तान समेत), उन समस्त स्थानों का विवरण दिया जाना चाहिए, जहाँ आपने 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है। NA

दिनांक से	दिनांक तक	निवास का पूर्ण पता (उदाहरणार्थ ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, गली/ वीथी/ सड़क एवं नगर	जनपद मुख्यालय का नाम या पूर्ववर्ती स्तम्भ में वर्णित स्थान का नाम
NA	NA	NA	NA

11.	नाम (पूर्ण रूप में एवं उपनाम यदि कोई हो)	राष्ट्रीयता (जन्म से एवं अधिवास से)	जन्म स्थान	व्यवसाय, यदि नियोजित है तो पदनाम एवं कार्यालय के पते का विवरण	वर्तमान डाक का पता (यदि मृत्यु हो चुकी है तो अंतिम निवास का पता)	घर का स्थायी पता
(क) पिता	BAKSHI RAMESHWAR PRASAD	INDIAN	PRAYAGRAJ	RETIRED	205-H/2A/5 ANANDPURAM	

(ङ) माता	CHANDRA KALA BAKSHI	INDIAN —	PRAYAGRAJ	HOUSE WIFE	KASARI MASARI CHAKIYA 211016, PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH	SAME
(च) पति/पत्नी	SHWETA KHARE	INDIAN	PRAYAGRAJ	HOUSE WIFE		

12.	पुत्र (पुत्रगण)/पुत्री (पुत्रियां) यदि किसी विदेशी राष्ट्र में अध्ययन/ निवास कर रहे हैं तो उनके संबंध में सूचना दी जाये : NO

नाम	जन्म या अधिवास से राष्ट्रीयता	जन्म स्थान	राष्ट्र जिसमें निवास/अध्ययन कर रहे हैं का पूर्ण पते के साथ विवरण	वह तिथि जिससे पूर्व लाभ से वर्णित राष्ट्र में निवास/अध्ययन कर रहे हैं।
NA	NA	NA	NA	NA

13.	शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु के पश्चात उन शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु से जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को दर्शाते हुए जिनमें शिक्षा प्राप्त की हो :

विद्यालय /महाविद्यालय का नाम (पूर्ण पते सहित)	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	उत्तीर्ण की गई परीक्षा
ANGLO BENGALI INTER COLLEGE PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH	2000	2002	HIGH SCHOOL
ANGLO BENGALI INTER COLLEGE PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH	2002	2004	INTERMEDIATE
UNITED COLLEGE OF ENGINEERING AND RESEARCH, NAINI, PRAYAGRAJ	2004	2008	B.TECH.
IIIT-ALLAHABAD, Jhalwa, PRAYAGRAJ	2011	2013	M.TECH.
IIIT-ALLAHABAD, JHALWA, PRAYAGRAJ	2014	2021	Ph.D

14.(क)	क्या आपने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अर्द्ध सरकार या मानद सरकारी निकाय या किसी स्वायत्तशासी निकाय या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी निजी फर्म या संस्थान में किसी समय कोई पदधारित किया है या करते हैं? यदि हां तो नियुक्ति की तिथि के साथ पूर्ण विवरण दें :

अवधि	पदनाम, परिलब्धियां एवं नियोजन की प्रकृति	नियोक्ता का पूर्ण नाम एवं पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण
Jul 09 to May 2011	Asst Prof, Private, Regular	U.C.E.R., Prayagraj	Personal
Jul 11 to Dec 2013	Asst Prof, Private, Regular	S.I.E.T., Prayagraj	Personal
Jan 14 to Oct 2022	Asst. Prof, Private, Regular	S.I.E.T., Prayagraj	Personal

तिथि से:	तिथि तक:
July 2009 July 2011 January 2014	May 2011 December 2013 October 2022

14.(ख)	यदि पूर्व का नियोजन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के अधीन था। क्या आपने केन्द्रीय नागरिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम-5 या तत्समान नियमावली के अधीन एक मास की सूचना देकर सेवा छोड़ी थी, क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी या क्या आपको सेवा समाप्ति की सूचना दिये जाने या आपकी सेवा वास्तविक रूप से

	समाप्त हो जाने के समय पर या बाद की तिथियों में किसी प्रकरण में आपको अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था ?		
15(एक)	(क)	क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ?	✓हाँ/नहीं
	(ख)	क्या आपको कभी अभियोजित किया गया है ?	हाँ/नहीं ✓
	(ग)	क्या आपको कभी नजरबंद किया गया है ?	हाँ/नहीं ✓
	(घ)	क्या आप पर किसी न्यायालय ने अर्थदण्ड लगाया है ?	हाँ/नहीं ✓
	(ड)	क्या आप किसी कार्य के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं ?	हाँ/नहीं ✓
	(च)	सत्यापन प्रपत्र भरने के समय आपके विरुद्ध कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित तो नहीं है	✓हाँ/नहीं
(दो)		यह सत्यापन प्रपत्र को भरते समय यदि उपरोक्त वर्णित प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर "हाँ" है तो वाद/ गिरफ्तारी/ नजरबंदी/ अर्थदण्ड/ दोषसिद्धि/ दण्डादेश/ दण्ड आदि और/ या न्यायालय/ विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्राधिकरण आदि में लंबित वाद की प्रकृति का पूर्ण विवरण दें: Details are attached as Annexure nc - 1 and 2 along with a Affidavit	

टिप्पणी : कृपया इस सत्यापन प्रपत्र के शीर्ष पर अंकित "चेतावनी" को भी देखें

यथा प्रकरणानुसार प्रत्येक प्रश्न के विशिष्ट उत्तर "हाँ" या "नहीं" के रूप में दिये जा सकते हैं।

16.	आपके क्षेत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों या अनुमोदकों के नाम जिनसे आप परिचित हों।	1) Dr. SONALI AGARWAL 2) Prof. VRIJENDRA SINGH

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्वोलिखित सूचना सत्य एवं पूर्ण है। सरकार के अधीन नियोजन के लिये मुझे अनअर्ह करने वाली किन्हीं परिस्थितियों की मुझे जानकारी नहीं है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर:

दिनांक: 19/10/2022

स्थान: PRAYAGRAJ

अभिज्ञान प्रमाण पत्र

(प्रमाणपत्र निम्नांकित में से किन्हीं एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)

(एक)	केन्द्र या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी
(दो)	निर्वाचन क्षेत्र, जहां अभ्यर्थी या उसके परिजन/अभिभावक सामान्य रूप से निवास करते हों के सांसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य
(तीन)	उप जिला मजिस्ट्रेट/अधिकारी
(चार)	मजिस्ट्रेरियल शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत तहसीलदार या नायब/उप तहसीलदार
(पांच)	अभ्यर्थी ने जिस मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/संस्था से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्राचार्य/प्रधानाचार्य
(छह)	खण्ड विकास अधिकारी

(सात)	राज्यपाल
(आठ)	पंचायत निरीक्षक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .... पुत्र/ पुत्री श्री .... को मैं विगत .... साल से जानता हूँ एवं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है।

दिनांक : [illegible] हस्ताक्षर :

स्थान : [illegible] पदनाम या प्रास्थिति

एवं पता : [illegible] मिश्र, अनुभाग अधिकारी, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा

एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता: श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।

दो) पद जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी का चयन किया गया है: व्याख्याता(इलेक्ट्रानिक्स, विद्युत, सिविल,कम्प्यूटर, अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स(भौतिकी), रसायन, यांत्रिक अभियंत्रण) /कर्मशाला अधीक्षक आदि (प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर)।

उपरोक्तानुसार विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन के संबंध में भारत सरकार में की गयी व्यवस्था संबंधी आदेशों को सम्मिलित करते हुये राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व किये जाने वाले चरित्र एवं सत्यापन की नीति में प्रस्तावित सुधारों के साथ-साथ नवीन सत्यापन प्रपत्र भी प्रस्तुत है।

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

ACC Name: Beena Devi Jaiswal
ACC Code: [illegible]
Mob: [illegible] License No. 128
Tehsil & District: Sadar, Prayagraj

Certificate No.	:	IN-UP31704142119370U
Certificate Issued Date	:	22-Oct-2022 04:22 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14502004/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14502004562017421042480
Purchased by	:	BAKSHI ROHIT PRASAD
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BAKSHI ROHIT PRASAD
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	BAKSHI ROHIT PRASAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY G. S. Pathak Reg. No-4130 Prayagraj GOVT. OF INDIA

Please write or type below this line

NOTARY G. S. Pathak Reg. No-4130 Prayagraj GOVT. OF INDIA

Part of Affidavit / Declaration

To,

JOINT SECRETARY, TECHNICAL EDUCATION SECTION-2, GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH, LUCKNOW, PIN CODE - 226001

Subject- With regard to the criminal case pending against the applicant i.e. matrimonial in nature (case crime no. 371 of 2018) under Section 498 A, 323, 504, 506, 406 Indian Penal Code and 3/4 DP Act.

This is too bring to your notice that the aforesaid case crime no. in which the applicant is named is the case arising out between his brother and his wife.

That in pursuance of the aforesaid case crime no. compromise has been taken place and application under Section 13 B of the Hindu Marriage Act, 1955 has been filed before Principal Judge Family Court, Allahabad which has been registered as Case No. 1630 of 2022 copy of the application under Section 13 B of the Hindu Marriage Act, 1955 dated 20.08.2022 is being filed herewith and marked as **<u>Annexure No. 1</u>** to this application.

NOTARY G. S. Pathak Reg. No-4190 Prayagraj GOVT. OF INDIA

That it would not be out of place to mention here that in the aforesaid case crime no. 371 of 2018 under Section 498 A, 323, 504, 506, 406 Indian Penal Code and 3/4 DP Act. The applicant has been released

on bail on the same day by order dated 30.05.2022 by the learned court below. Copy of the bail order dated 30.05.2022 passed by learned court below dated 30.05.2022 is being filed herewith and marked as **Annexure No. 2** to this application.

That therefore it is kindly be pleased that the applicant has given all the relevant details about the criminal case in which he has been falsely implicated and the present affidavit has been filed along with the form for necessary action.

NOTARY
G. S. Pathak
Reg No-4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

Bakshi Rohit Prasad,
Aged about 36 years son of
Bakshi Rameshwar Prasad
Resident of 205-H/2A/5, Anand
Puram Kasari Masari, Chakiya
GTB Nagar, Allahabad.

G.S. Pathak
Public Notary
Ald., Prayagraj (U.P.)

Sign./T.I. Identified By
22/10/22

Ghanshyam Pathak
Public Notary Govt. of India
Police Gard Room
Civil Pansar
District Court, Allahabad
(M) 9336374587

ANNEXURE NO - 1

SURENDRA KUMAR

6388793180

[illegible]

मुकदमा [illegible] न्यायालय [illegible]

[illegible] सं - 1630/21

[illegible] राहुल [illegible] [illegible] [illegible]

थाना - 13 B [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

14

20/10/22

न्यायालय प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश इलाहाबाद

वैवाहिक वाद संख्या 1630. सन् 2022

बक्शी राहुल प्रसाद

बनाम

नेहा श्रीवास्तव

अन्तर्गत धारा-13 बी0 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955

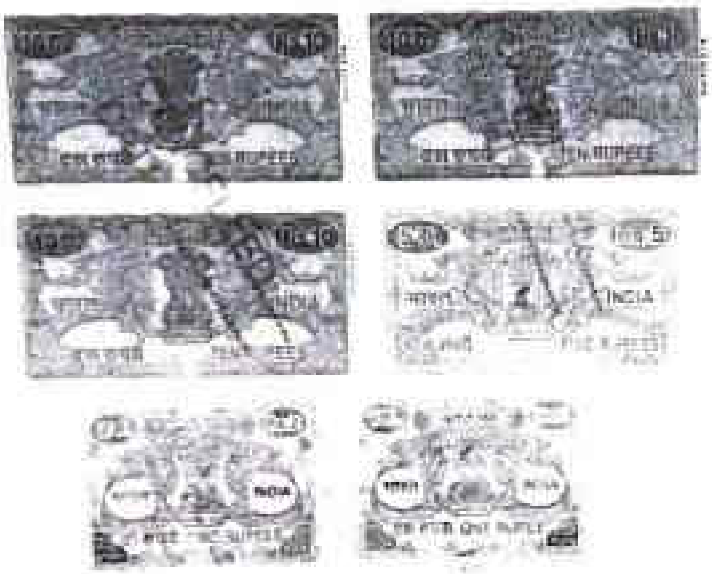

1630 20/8/22

वादी-1

Bakshi Rahul Prasad

बक्शी राहुल प्रसाद

वादी-2

Neha Srivastava

नेहा श्रीवास्तव

दिनांक:-

20-08-2022

न्यायालय प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश इलाहाबाद

वैवाहिक वाद संख्या 1630. सन् 2022

बक्शी राहुल प्रसाद उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र श्री बक्शी रामेश्वर प्रसाद निवासी-205 एच0/2110/5 कसारी-मसारी चकिया जीटीबी नगर जनपद इलाहाबाद।

वादी संख्या-1

बनाम

नेहा श्रीवास्तव उम्र 37 वर्ष पत्नी बक्शी राहुल प्रसाद पुत्री स्व0 सत्य प्रकाश श्रीवास्तव निवासिनी-205 एच0/2110/5 कसारी-मसारी चकिया जीटीबी नगर जनपद इलाहाबाद।

वादी संख्या-2

अन्तर्गत धारा-13 बी0 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955

महोदय

उभयपक्षकारगण निम्नलिखित निवेदन करते है -

1- यह कि उभयपक्षकारगण जन्म से भारत के मूल निवासी है।

2- यह कि उभयपक्षकार हिन्दू विवाह अधिनियम-1955 की धारा-2 के अधीन हिन्दू है।

3- यह कि उभयपक्षकारों का विवाह दिनांक 02-12-2016 को हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार जनपद इलाहाबाद में सम्पन्न हुआ था।

4- यह कि उभयपक्षकारगण के मध्य वैचारिक मतभेद इतने गहरे हो गये कि भविष्य में उभय पक्षकार का एक साथ बतौर पति-पत्नी रह पाना कतई सम्भव नही रह गया है और ना ही भविष्य में वैवाहिक सम्बन्ध सुधरने की कोई सम्भावना ही रह गयी है। महज इसी कारणवश आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तुत संयुक्त याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा रहा है। ताकि उभयपक्षकारगण विधि के अनुरूप न्याय पा सकें।

5- यह कि उभयपक्षकार के मध्य पिछले चार वर्षों से दिनांक 24-07-2018 से अनवरत वैचारिक मतभेद के कारण कोई वैवाहिक सम्बन्ध नही रह गया है। और ना ही आपस में शारीरिक सम्बन्ध ही स्थापित हुआ है, और उभयपक्षकार पृथक-पृथक रहते हुए निवास कर रहे हैं।

6- यह कि उभयपक्षकार काफी सोच-समझ कर बगैर किसी दबाव या डर के स्वस्थ एवं स्थिर बुद्धि से बिना किसी लालच या स्वार्थ के आपसी सहमति से विवाह सम्बन्ध विच्छेद हेतु यह संयुक्त याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

Neha Srivastava

Rahul Prasad

7– यह कि उभयपक्षकारगण के मध्य भरण पोषण,स्थाई भरण पोषण भत्ता, स्त्रीधन इत्यादि के सन्दर्भ मे याची संख्या–1 **बक्शी राहुल प्रसाद** द्वारा मु0 8'50'000 /–रू0 आठ लाख पचास हजार रूपये एकमुश्त अदा करने को तैयार व तत्पर है। जिसमे से याची सं0–1 द्वारा मु0 200000/–रू0 दो लाख रूपये याची **संख्या–2 नेहा श्रीवास्तव** के हक मे जरिए बैंक ड्राफ्ट संख्या–क्रमश 464275 एव 464290 को माननीय प्रधान पारिवारिक न्यायालय के खाते मे जमा कर रहा है शेष बकाया 6'50'000/–रू0 छः लाख पचास हजार रूपये याची संख्या–2 नेहा श्रीवास्तव हेतु माननीय पारिवारिक न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के अवसर पर प्रदान करने को तैयार व तत्पर है। साथ ही विवाह के अवसर पर प्राप्त जेवरातो जो सूचीबद्ध को भी प्रदान करने हेतु तैयार व तत्पर है। इसके अतिरिक्त कोई शेष बकाया नही रह जावेगा। और याची संख्या–2 नेहा श्रीवास्तव द्वारा आपसी सहमति के आधार पर वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद हेतु प्रस्तुत संयुक्त याचिका अर्न्तगत धारा–13बी हिन्दू विवाह अधिनियम के निस्तारण पर ही समस्त धनराशि प्राप्त करने को तैयार है। जिसमे उभयपक्षो की पूर्ण सहमति है।

8– यह कि प्रस्तुत संयुक्त याचिका के आधार पर याची **संख्या–2** द्वारा **अपर सिविल जज संख्या–21** जनपद इलाहाबाद के समक्ष योजित अपराध संख्या **371** सन् **2018** अर्न्तगत धारा–498ए, 323 504 506 406 **आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट** को को **याची संख्या–2 नेहा श्रीवास्तव** द्वारा प्रस्तुत संयुक्त याचिका के आधार पर अपना साक्ष्य व शपथपत्र तत्काल प्रभाव से निस्तारित कराने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी तदुपरान्त प्रस्तुत संयुक्त याचिका के आधार पर तलाक की डिक्री प्राप्त करेगी। इस प्रकार याची **संख्या–1 बक्शी राहुल प्रसाद** द्वारा समस्त मदो के बावत कुल रूपया **मुबलिग 8,50000/–रू0 –आठ लाख** पचास हजार रूपये याची **संख्या–2 नेहा श्रीवास्तव** को माननीय न्यायालय के समक्ष अदा करेगा। जिसमे उभयपक्षों की पूर्ण **सहमति है और इसी क्रम मे याची संख्या–2** द्वारा माननीय प्रधान पारिवारिक न्यायालय इलाहाबाद द्वारा योजित एक अन्य वैवाहिक वाद संख्या–1767 सन् 2018 अर्न्तगत धारा–13 25 27 हिन्दू विवाह अधिनियम जिसमे दिनांक 23–08–2022 नियत है उक्त वाद को भी प्रस्तुत संयुक्त याचिका के आधार पर विदड्रा वापस कराने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेगी।

9– यह कि उभयपक्षकार या उनके पारिवारिक सदस्यों को इस संयुक्त याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात किसी प्रकार का लेन–देन करने का अधिकार नही होगा यदि कभी भी इससे सम्बन्धित कोई प्रकरण किसी स्थान या न्यायालय मे प्रस्तुत किया जावेगा तो वह कानूनन उभयपक्षकार के आपसी सहमति से हुए निष्कर्षो के अर्न्तगत अमान्य एव शून्य करार दिया जावेगा।

10– यह कि उभयपक्ष आपसी सहमति से हुए विवाह सम्बन्ध विच्छेद के पश्चात अपना–अपना पुर्नविवाह करने हेतु स्वतन्त्र होगे तथा पुर्नविवाह मे एक दूसरे पक्ष को किसी भी की आपत्ति व हक हासिल नही होगा। इस प्रकार उभयपक्षकार के मध्य किसी प्रकार की कोई शर्त भविष्य मे प्रस्तुत वाद के निस्तारण के बाद लागू नही होगी।

11– यह कि वाद का कारण तब उत्पन्न हुआ जब उभयपक्षो के वैचारिक मतभेद के कारण विगत 25–12– 2016 से अलग–अलग निवास किये जाते रहने से रहा है। जो वर्तमान मे भी विद्यमान है।

12– यह कि उभयपक्षकारो के मध्य कोई दुरभि सन्धि नही है।

13– यह कि वाद का मूल्यांकन मुबलिग 11500/रू0 किया जा रहा है। जिस पर निर्धारित न्यायशुल्क अदा किया जा रहा है।

अनुतोष

उभयपक्षकार निम्नलिखित अनुतोष की याचना करते हैं :-

अ- यह कि माननीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षकार की आपसी सहमति से मॉगी गये अनुतोष वाले विवाह सम्बन्ध विच्छेद को स्वीकार करते हुए उभयपक्ष के मध्य हुए विवाह दिनांकित 02-12-2016 को वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद की डिक्री घोषित किये जाने की कृपा की जावे।

दिनांक 20-08-2022

याची-1

Bakshi Rahul Prasad

बक्शी राहुल प्रसाद

याची-2

नेहा श्रीवास्तव

तस्दीक

हम उभयपक्षकार बहलफ तस्दीक करते है कि संयुक्त वादपत्र की धारा-1 लगायत 12 के समस्त तथ्य हम लोगों की निजी व प्राप्त जानकारी मे सही व सच हैं इसमे न तो कोई झूठ है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है। हमने अपने हस्ताक्षर आज दिनांक 20-08-2022 को पारिवारिक न्यायालय परिसर मे बनाये हैं।

याची-1

Bakshi Rahul Prasad

बक्शी राहुल प्रसाद

याची-2

नेहा श्रीवास्तव

दिनांक -

20-08-2022

सत्य-प्रतिलिपि

20/10/22

प्रधान पारिवारिक न्यायालय

ANNEXURE No - 2

SURENDRA KUMAR

6388793180

①

97
[illegible]

न्यायालय ए.सी.जे. (एस.डी.) इलाहाबाद /
[illegible] 2097/2021
[illegible] राहुल [illegible]
[illegible] 371/2018
[illegible] इलाहाबाद
[illegible] आदेश दिनांक 30/05/2022

20 10 22
20 OCT 2022
20 10 22
20 OCT 2022
20 10 22
20 OCT 2022

न्यायालय सिविल जज (क0श्रे0), एफ0टी0सी0 कक्ष सं0–21
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बन्धित न्यायालय), इलाहाबाद।

दिनांक 30.05.2022

आदेश

अभियुक्त **राहुल बक्शी** की ओर से जमानत हेतु प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया है।

अभियुक्त मुकदमा सं0–**298/2019 व अपराध संख्या– 371/2018 धारा–498ए, 323, 504, 506, 406 भा0द0सं0 व धारा– 3/4 डी0पी0 एक्ट,** थाना– **महिला थाना**, प्रयागराज में न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पीड़िता का पति है एवं मामला वैवाहिक मतभेदों से सम्बन्धित है। प्रस्तुत मामले के पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता का प्रयास किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः अभियुक्त को मु0–बीस–बीस हजार रुपये की पी0बी0 व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को दिनांक 13.06.2022 तक के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त अग्रिम नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 10.06.2022 को जनपद न्यायालय में स्थित मीडियेशन सेन्टर में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सुलह समझौता हेतु उपस्थित हो। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण मिडियेशन सेन्टर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र मिडियेशन रिपोर्ट के साथ वास्ते निस्तारण दिनांक–13.06.2022 को पेश हो।

(अभिषेक कुमार)
सिविल जज (क0श्रे0)/एफ0टी0सी0,
कक्ष सं0–21, (महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बन्धित न्यायालय) इलाहाबाद।